इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic. in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2020-ज्येष्ठ 29, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन
- (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.

- (ख) (1) अध्यादेश
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (3) संसद् के अधिनियम.

- (ग) (1) प्रारूप नियम,
- (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं भाग ४ (ख)—कुछ नहीं भाग ४ (ग) अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. D-2175

जबलपुर, दिनांक 6 जून 2020

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग (ई-फाईलिंग) नियम, 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 54, लेटर्श पेटेंट के खण्ड 27 व 28 एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्डपीठों को अपील) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायालयों हेतु ई—फाईलिंग के उपयोग से संबंधित अभ्यास एवं प्रक्रिया का विनियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाता है:—

 नामकरण : ये नियम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग (ई-फाईलिंग) नियम, 2020 कहलाएंगे। 2. प्रयोज्यता एवं प्रवर्तन : ये नियम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग (ई फाईलिंग) किए जाने वाले प्रकरणों पर लागू होंगे एवं उस दिनांक से एवं उन वर्गों के प्रकरणों पर लागू होंगे जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा रामय-समय पर अधिसूचित किया जावेगा।

3. परिभाषाएँ :

- (क) "परम्परागत फाईलिंग" से न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों का भौतिक गैर-इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण अभिप्रेत है।
- (ख) "न्यायालय" से मध्यप्रदेश का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है।
- (ग) "दस्तावेज" से अभिवचन, याचिकाएं, आवेदन/अंतरिम आवेदन, सहलग्नक, प्रदर्श, शपथ-पत्र, ज्ञापन, कागजात, आदेश, सूचना एवं न्यायालय के समक्ष फाईल किए जाने वाले, उत्तर सहित, कोई अन्य दरतावेज अभिप्रेत है।
- (ध) "इलेक्ट्रॉनिक न्यायालयीन अभिलेख" से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सृजित, उत्पन्न किए गए, भेजे गए, संसूचित किए गए, प्राप्त किए गए अथवा संग्रहित किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अभिप्रेत हैं जो उनकी अन्तर्वस्तु की हानि के बिना अथवा प्रकटन में तात्विक परिवर्तन के बिना कागज पर मुद्रित होने अथवा संग्रह मीडिया में स्थानांतरित होने योग्य है। स्केनिंग तकनीक का उपयोग करके न्यायालयीन अभिलेखों को खोजे जा सकने योग्य बनाने के लिए न्यायालय द्वारा न्यायालयीन अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में बनाया अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यायालयीन अभिलेख कार्यालयीन अभिलेख के समतुल्य होगा।
- (ड) "ई—फाईलर" से इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग प्रणाली के माध्यम रो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजों को फाईल करने वाला वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास एक यूजर आई.डी., पासवर्ड एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज फाईल करने के लिए सीमित प्राधिकार हों।
- (व) "इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग (ई—फाईलिंग)" से इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए न्यायालय के समक्ष किसी दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक संचारण करना तथा इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग की सूचना का न्यायालय से संचारण अभिप्रेत हैं। ई—मेल अथवा प्रतिकृति (facsimile) अथवा किसी मेसेंजर एप (Messenger app) के माध्यम से न्यायालय को दस्तावेज भेजना "इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग" का गठन नहीं करता।
- (छ) "ई-फाईलिंग प्रणाली (EFS)" : मध्यप्रदेश के न्यायालयों द्वारा उपयोग हेतु दस्तावेजों को इंटरनेट के माध्यम से फाईल करने के लिए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुगोदित नेटवर्क से जुड़े हुए हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा सेवा प्रदाताओं की एक प्रणाली है।

- (ज) "इलेक्ट्रॉनिक पहचान" से आशय है ई-फाईलर (e-filer) की लॉग इन आई.डी. (Login ID), यूजरनेम (Username), पासवर्ड (Password) एवं प्रोफाईल (Profile) का संयोजन।
- (झ) "उच्च न्यायालय प्रकरण प्रबंधन सूचना प्रणाली (HCCMIS)" : यह गध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपयोग की जाने वाली नेटवर्क साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की प्रणाली है जो प्रकरणों के डाटा (Data) की प्राप्त, व्यवस्थित, भंडारित, पुनःप्राप्ति और संचारित कर सकती है।
- (ञ) "हार्ड कॉपी" से आशय ई—फाईलिंग के माध्यम से फाईल दस्तावेजों अथवा / एवं चित्रों के कागज पर मुद्रित संस्करण से है।
- (ट) "इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग की सूचना (NEF)" से आशय प्रणाली (System) में दस्तावेज फाईल करते समय भारतीय मानक समय में इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग सिस्टम द्वारा स्नचालित रूप से उत्पन्न विवरणयुक्त ईमेल अथवा एस.एम.एस. द्वारा भेजी गई सूचना से हैं। ई-फाईलर द्वारा ई-फाईलिंग करते समय दिए गए पंजीकृत ई-मेल एवं मोबाइल फोन पर इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग की सूचना ई-फाईलिंग के तुरंत बाद भेज दी जाएगी।
- (ठ) "पी.डी.एफ. (PDF)" से आशय पोर्टेबल (सुवाह्य) दस्तावेज प्रारूप में फाईल किया गया इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज से है, जो कि Free Adobe® Acrobat® Reader द्वारा पठनीय है।
- (ड) "पी.डी.एफ./ए (PDF/A)" से आशय इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के डिजिटल संरक्षण के लिए विशिष्ट पोर्टेबल (सुवाह्य) दस्तावेज प्रारूप के ISO मानकीकृत संस्करण से हैं।
- (ढ) "पब्लिक एक्सेस टर्मिनल (Public Access Terminal)" : पब्लिक एक्सेस टर्मिनल न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया एक सार्वजनिक रूप से सुलभ कम्प्यूटर है जो आम जनता को ई.एफ.एस. (EFS) एवं सार्वजनिक न्यायालयीन अभिलेखों तक पहुँच की अनुमित देता है।
- (ण) "स्केन्ड दस्तावेज (Scanned Documents)" का आशय एक इलेक्ट्रॉनिक छवि से है जिसे पेपर दस्तावेज को स्केन कर बनाया गया है।
- (त) 'तकनीकी खराबी' का आशय न्यायालय की हार्डवेयर, साफ्टवेयर और दूरसंचार सुविधा की खराबी से है जिसके परिणामस्वरूप ई—फाईलर के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप रो फाईलिंग करना असंभव होता है। तकनीकी खराबी में ई—फाईलर के उपकरण की खराबी सम्मिलित नहीं है।

- (थ) "यूजर एग्रीमेंट" से आशय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित अनुबंध के एक प्रारूप से है जो ई.एफ.एस. (EFS) की सीमा के अंतर्गत ई-फाईलर के दायित्वों एवं जिम्मेदारियों को स्थापित करता है।
- (द) "वेबसाईट प्रषासक (Website Administrator)" से आशय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामित अधिकारी / कर्मचारी से है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द एवं भाव जो कि इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं, का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में समनुदेशित किया गया है।

4. याचिकाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल किया जाना :

इन नियमों में अन्यत्र उपबंधित के सिवाय, सभी याचिकाएं, आवेदन, अंतरिम आवेदन, अपील, नवीन एवं लंबित अथवा निराकृत प्रकरणों में अन्य अभिवचन/दस्तावेज एतरिमनपश्चात् बताए गए तरीकें से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल किए जा सकते हैं। इन नियमों के अधीन अधिवक्ता अथवा पक्षकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल किए गए दस्तावेज का वही विधिक प्रभाव होगा जैसा कि किसी दस्तावेज का कागज प्रारूप में होता है।

परन्तु कि पक्षकारगण और अधिवक्तागण अत्थावश्यक मामलों में ई—फाईलिंग के 03 कार्यदिवसों के भीतर एवं साधारण मामलों में 07 कार्यदिवसों के भीतर हार्ड कॉपी फाईल करेंगे। हार्ड कॉपी फाईल करने का दिनांक फाईल करने का दिनांक माना जाएगा एवं ई—फाईलिंग करने की दिनांक परिसीमा अवधि की गणना करने के लिए फाईल करने का दिनांक माना जाएगा।

5. ई-फाईलर्स का पंजीकरण एवं उत्तरदायित्व:

- (1) ई.एफ.एस. (EFS) में पंजीकरण निम्नलिखित के लिए सीमित होगा:-
 - (कं) HCCMIS में पंजीकृत, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में व्यवसायरत अधिवक्तागण एवं
 - (ख) पक्षकारगण स्वयं

(2) पंजीकरण

- (क) ई--फाईलर की लॉगिन आई.डी. / यूजरनेम / पासवर्ड एवं प्रोफाईल इन नियमों के उद्देश्यों के लिए ई--फाईलर की इलेक्ट्रॉनिक पहचान एवं प्रयोक्ता खाता (यूजर एकाउंट) का गठन करेगी। ई--फाईलर को आवश्यक रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन पंजीकरण करना होगा।
- (ख) यदि प्रयोक्ता (यूजर) एक अधिवक्ता है तो CMIS Software पर लागिन आई.डी. बनाने के लिए उसे अधिवक्ता परिषद पंजीयन क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं ई मेल पता प्रदान करना आवश्यक होगा।

- (ग) यदि यूजर कोई संस्था, प्राधिकरण, महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कंपनी, निगम, बैंक, सहकारी संस्था, संस्था पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्था, गैर सरकारी संगठन इत्यादि है तो CMIS Software पर लॉगिन आई.डी. बनाने के लिए उसे उसका पता, अधिकृत व्यक्तियों की सूची, ई-मेल एवं मोबाईल नंबर प्रदान करना आवश्यक होगा।
- (घ) यदि प्रयोक्ता (यूजर) कोई व्यक्ति है तो CMIS Software पर लॉगिन आई.डी. बनाने के लिए उसे उसका PAN नंबर / आधार नंबर / वोटर आई.डी. नंबर (कोई एक) एवं मोबाईल नंबर एवं ई गेल आई.डी. प्रयान करना आवश्यक होगा।
- (ङ) ई-फाईलर, ई-फाईलिंग प्रणाली प्रयोक्ता अनुबंध (ई-फाईलिंग सिस्टग यूजर) की शर्तों के अधीन होगा।

(3) ई फाईलर्स के उत्तरदायित्व :

- (क) यह ई-फाईलर्स का दायित्व होगा कि EFS से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिसूचना प्राप्त करने के लिए उसका एक वैध एवं सक्रिय (चालू) ई-मेल एड्रेस हो जो कि आकार सीमा से अधिक नहीं हो। यह सुनिश्चित करना न्यायालय का उत्तरदायित्व नहीं होगा कि क्या ई-फाईलर ई-मेल के द्वारा ई-फाईलिंग सिस्टम से अधिसूचनाएं प्राप्त कर रहा है अथवा नहीं।
- (ख) यदि ई-फाईलर की प्रोफाईल में प्रदान की गई ई-फाईलर का ई-मेल एड्रेस, फोन नंबर अथवा अन्य सूचनाओं में परिवर्तन हुआ हो तो ई-फाईलर को उसकी प्रोफाईल में तुरंत आवश्यक परिवर्तन आवश्यक रूप से करने होंगे।
- (ग) एक ई-फाईलर निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :--
 - (i) उसकी यूजर आई.डी. का उपयोग करते हुए कोई कार्य, एवं
 - (ii) किसी व्यक्ति का कार्य जिसे उसके द्वारा अपना यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड साझा करके पहुंच प्रदान की जाती है।

किसी भी अनुचित आचरण के परिणामस्वरूप खाता (Account) निलंबित किया जा सकता है अथवा न्यायालय की अवमानना के लिए अथवा अपराध कारित करने के लिए तत्समय सुसंगत अनुझेय विधि के अधीन अन्य कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं। यह उपधारणा की जाएगी कि दस्तावेज / दस्तावेजों को यूजर—आई.डी. का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के द्वारा फाईल किया गया / किए गए हैं एवं यह प्रयोक्ता (यूजर) का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपनी आई.डी. एवं पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखे। यदि कोई फाईलर यह विश्वास करता है कि उसकी अथवा उसके इलेक्ट्रॉनिक पहचान के साथ समझौता किया गया है अथवा प्रणाली (System) के लिए खतरा मौजूद है तो ई—फाईलर को आवश्यक रूप से ई—फाईलिंग वेबसाईट प्रशासक को सूचित करना चाहिए।

(घ) एक ई-फाईलर यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा कि फाईलिंग में वायरस समेत कोई कम्प्यूटर कोड नहीं है जो कि न्यायालय के इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग प्रणाली एवं उस सिस्टम के अन्य यूजर के लिए हानिकारक हो सकता है।

6. ई-फाईलिंग के लिए प्रक्रिया:

- (1) जब भी कोई पक्षकार याचिका, आवेदन अथवा दस्तावेज इत्यादि फाईल करने का आशय रखता है तो वह किसी word processing software का उपयोग करते हुए उस प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में मूल पाठ सामग्री, दस्तावेज, प्रस्ताव की सूचना, पक्षकारों का ज्ञापन, मुख्य याचिका अथवा अपील में जवाब, अंतर्ववर्ती आवेदन इत्यादि तैयार करेगा जिसे कि मूल के समान उच्च विश्वस्तता प्रदान की जा सकती है, एवं जो मूल दस्तावेज स्वरूपण को बनाए रखते हुए खोजनीय (searchable) है एवं टैग (tag) किए जाने योग्य है, विषयवस्तु की फार्गिटिंग (formatting) style इस प्रकार होगी
 - (क) पेज साइज (Page Size) : दस्तावेज A4 पेज साइज में तैयार किये जायेंगे। परम्परागत रूप से फाईल किये गये दस्तावेज, पेज साइज एवं पेज की प्रकृति के संबंध में मौजूद नियमों के अनुरूप होंगे।
 - (ख) प्रिंट साइज (Print Size) : Times New Roman का फॉन्ट (Font) होगा एवं Body Text में typeface 14 points होगा एवं footnotes 12 points होगा।
 - (ग) स्पेसिंग (Spacing) : सम्पूर्ण टेक्स्ट (Text) में डेढ़ (1.5) की line spacing होगी रिवाय इसके कि footnotes, tables, charts अथवा समान राामग्री एवं टेक्स्ट (text) जो कि blocked एवं indented है की line spacing एक होगी।
 - (घ) नग्बरिंग (Numbering) : गुख्य पृष्ठ सहित सभी पृष्ठों के निचले भाग में पृष्ठों का क्रमांक अंकित होगा। Index एवं Chronological list of events (अनुक्रमणिका और कालानुक्रमिक घटनाओं की सूची) Central alignment में निचले भाग में 1 से प्रारंभ होकर क्रमानुसार क्रमांकित होगी।
 - (ङ) गार्जिन (Margins) : सभी दस्तावेजों में, दस्तावेजों के अंत से न्यूनतम 2 cm शीर्ष एवं निचला मार्जिन होगा जबकि दस्तावेज के अंत से 4 cm बाँया एवं दाँया मार्जिन होगा।
 - (च) अलाईनमेंट (Alignment) : सभी दस्तावेज Justified alignment से align होंगे।
 - (छ) कवर / पेज हेडर (Cover / Page Headers) : दस्तावेज के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर प्रत्येक पेज में एक हेडर (Header) होगा जिसमें दस्तावेज फाईल करने वाले पक्षकार / पक्षकारों के नाम की सूची एवं दस्तावेज का नाग होगा (यथा "AB की ओर से फाईल की गई रिट याचिका (Writ Petition)" अथवा "XY की ओर से फाईल किया गया जवाब")।
- (2) दरतावेज को किसी भी पी.डी.एफ. कनवर्टर अथवा साफ्टवेयर में पूर्व से प्रदान किया गया पी.डी.एफ. कनवर्जन प्लग-इन का उपयोग करके फाईलिंग प्रणाली

- में फाईल किये जाने से पूर्व पी.डी.एफ./ए अथवा पी.डी.एफ. प्रारूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। पी.डी.एफ./ए. (PDF/A) इ.एफ.एस. (EFS) के लिये अधिमान्य प्रारूप है।
- (3) जहाँ दरतावेज एक लेख दरतावेज (text document) नहीं है एवं उसे याविका, अपील अथवा आवेदन अथवा अन्य अगिवचन, जैसी स्थिति हो, में संलग्न िक्या जाना हो तो दरतावेज को 300 DPI (Dots Per Inch) की इंगेज रिजाल्यूशन (Image Resolution) का उपयोग कर रकैन किया जायेगा एवं A4 साइज में पी.डी.एफ. अथवा पी.डी.एफ. /ए. दस्तावेज के रूप में सुरक्षित (save) किया जायेगा। ई—फाईलर को आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिये कि फाईलिंग, दस्तावेज का यथार्थ निरूपण है व पूर्ण एवं पठनीय है। जहाँ मूल स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं है तो उस स्थिति में फाईलिंग करने वाले अधिवका द्वारा उसी सगय उसकी टंकित प्रति, यह विधिवत प्रमाणित करते हुए कि यह दस्तावेज की सत्य टंकित प्रति है, फाईल की जायेगी। यह भी मूल के साथ रकेन एवं अपलोड की जायेगी। दस्तावेजों को पेज के एक तरफ मुद्रित किया जाएगा एवं जब मूल दोनों तरफ मुद्रित हों तो उसकी टंकित प्रति एक अथवा दोनों तरफ टंकित की जायेगी।
- (4) 20MB फाईल का अधिकतम अनुझेय आकार है जो ई-फाईलिंग के समय अपलोड किया जा सकता है। हालाँकि, यदि फाईल बड़ी है तो इसे विभाजित किया जा सकता है एवं पृथक से अपलोड किया जा सकता है।
- (5) अन्य प्रारूपों में प्रस्तुत किए गये अथवा विदित्त आकार सीमा से अधिक के दस्तावेज फाईल करने के लिये स्वीकार नहीं किये जायेंगे, किन्तु इन्हें परम्परागत फाईलिंग के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- (6) यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को फाईल करने के लिए न्यायालय की अनुमति अपेक्षित है तो ई—फाईलर को प्रस्तावित दस्तावेज को फाईल करने के लिये अनुमति के आवेदन में अनुलग्न के रूप में इस दस्तावेज को संलग्न करना चाहिये। यदि न्यायालय अनुमति प्रदान करता है एवं प्रस्तावित दस्तावेज को अनुज्ञात करता है तो ई—फाईलर को प्रस्तावित दस्तावेजों को अमिलेख का भाग बनाने के लिये आवश्यक रूप से पूनः फाईल करना चाहिए।
- (7) हस्ताक्षर : ई--फाईलिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल किये गये दस्तावेज पर फाईलिंग करने वाले पक्षकार के अधिवक्ता के अथवा जहाँ पक्षकार का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ पर पक्षकार के डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होना चाहिये, जैसा कि निम्न कंडिका (क) एवं (ख) में विस्तृत रूप से वर्णित है। फाईलिंग करने वाले पक्षकार के अधिवक्ता के डिजिटल हस्ताक्षर को व्यक्तिगत हस्ताक्षर के रूप में माना जायेगा एवं यह व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अथवा किसी अन्य प्रक्रिया एवं अभ्यास के नियम, प्रवृत्त कानून, रथानीय नियम एवं अन्य उद्देश्य जिसमें न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाओं में हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, में हस्ताक्षर के रूप में मान्य होगा।
 - (क) इंलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल किये गये किसी दस्तावेज में आवश्यक रूप से हस्ताक्षर खंड का समावेश होना चाहिये जिसमें फाईलिंग करने वाले पक्षकार के अधिवक्ता का अथवा जहाँ पक्षकार का प्रतिनिधित्व अधिवका

द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ पक्षकार का, नाम, पत्राचार का पता, दूरभाष क्रमांक, फ़ैक्स क्रमांक (यदि हो तो), एवं ई—मेल एड्रेस उल्लेखित होना वाहिये।

- (ख) इसके अतिरिक्त, फाईल करने वाले पक्षकार के अधिवक्ता का नाम "/Sd/"
 के पूर्व आवश्यक रूप से होना चाहिये एवं उस जगह पर टंकित होना चाहिये जहाँ अन्यथा हस्ताक्षर प्रकट होते। परम्परागत रूप से फाईल किये गये किसी दस्तावेज के लिये हस्तिखित हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।
- (ग) मूल हस्तिखित हस्ताक्षरों के साथ अभिवचनों के प्रदर्शों को एवं शपथपत्रों को आवश्यक रूप से स्कैन एवं पी.डी.एफ. (PDF) अथवा पी. डी.एफ. / ए. (PDF/A) प्रारूप में फाईल किया जाना चाहिये।
- (ध)(i) जहाँ पक्षकार अथवा अधिवक्ता के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हैं तो ऐसे अधिवक्ता अथवा पक्षकार उनसे संबंधित आधार नंबर एवं UIDAI (भारतीय विषिष्ट पहचान प्राधिकरण) से संबद्ध उनके पंजीकृत मोबाईल नंबर पर भेजे गये OTP का उपयोग करके ई—फाईल किये गये दस्तावेज को आधार प्रमाणीकरण के द्वारा प्रगाणित कर सकते हैं। ऐसे प्रमाणीकरण को सभी प्रयोजनों एवं उद्देश्यों के लिये वैध पहचान के रूप में माना जायेगा एवं यह पक्षकार अथवा अधिवक्ता का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने आधार नंबर एवं UIDAI के साथ पंजीकृत मोबाईल फोन की सुरक्षा को बनाये रखे।
- (ii) जब किसी दस्तावेज पर एक से अधिक पक्षकारों के हस्ताक्षरों की आवष्यकता हो तब उसे फाईल किया जा सकेगा, या तो,
 - (अ) दस्तावेज पर अन्य पक्षकारों की सहमति उस स्थान पर जहाँ प्रत्येक हस्तिलिखत हस्ताक्षर अन्यथा प्रकट होते, में फाईलिंग करने वाले पक्षकार के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के टंकित हस्ताक्षर सिनिविष्ट करके दर्शित करते हुए, जिसके पूर्व में शब्द "/Sd-/" एवं बाद में शब्द "अनुज्ञा द्वारा" होंगे (यथा "/Sd-/" क.ख. अनुज्ञा द्वारा") अथवा
 - (ब) सभी अनिवार्य हस्ताक्षर समाविष्ट करने वाले स्कैन किए हुए दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल करने के द्वारा।
- (8) किसी ऐसे दस्तावेज, जिसका नोटरीकृत, अभिस्वीकृत, सत्यापित या शपथ पर किया जाना अपेक्षित है, पर हस्ताक्षर हस्तिलिखत होंगे एवं ई--फाईलिंग प्रणाली में स्कैन किए जाएँगे। न्यायालय स्कैन किए हुए दस्तावेज को आधिकारिक न्यायालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेगा तथा प्रस्तुतकर्ता पक्षकार अभिवचनों सहित मूल दस्तावेज परंपरागत फाईलिंग के द्वारा प्रस्तुत करेगा।
- (9) ई-फाईलिंग हेतु प्रयोज्य दिशा-निर्देश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट (https://mphc.gov.in/) पर उपलब्ध कराए जाएँगे तथा प्रत्येक ई-फाईलर को इराका पालन करना होगा।

दस्तावेजी द्विनामी (बाईनरी) फाईल नाम मानक :

- (1) किसी फाईल के नाम में निम्नलिखित विशिष्ट विन्ह (Special Character) अनुमत नहीं हैं :
 - कोई कोटेषन मार्क (")
 - कोई संख्या चिन्ह / पौंड (#)
 - प्रतिशत (%)
 - एम्परसैंड (&)
 - एस्टरिस्क (*)
 - कोलन (:)
 - एंजल ब्रेकेट्स (लेस देन, ग्रेटर देन) (<>)
 - प्रश्न चिन्ह (?)
 - बैक स्लेश (\)
 - फारवर्ड स्लेश (/)
 - ब्रेसिज (लेफ्ट व राइट) ({ })
 - पाईप (|)
 - टिल्ड (~)
 - पीरियं चिन्ह् (.) जिसका प्रयोग क्रमानुसार फाईल के नाम के मध्य, आरंग या अंत में किया गया है।
- (2) फाईल के नागों का अंत निम्नलिखित श्रृंखलाओं (Strings) से नहीं होगा :
 - .फाईल्स (.files)
 - _फाईल्स (_files)
 - -डैटियन (-Dateien)
 - __फिशियर्स (_fichiers)
 - _बेस्टांडेन (_bestanden)
 - _फाईल (_file)
 - _आर्किवस (_archivos)
 - _फाईलर (-filer)
 - _टाइडस्टॉट (_tiedostot)
 - _िप्लकी (_pliki)
 - _सौबोरी (_soubory)
 - _एलेमेई (_elemei)
 - _ फिशिरस (_ficheiros)
 - _आरक्वीवॉश (_arquivos)
 - _डाश्यलॉर (_dosyalar)
 - _डेटोटेके (_datoteke)
 - _फिक्सर्श (_fitxers)
 - _फैलिड (_failid)
 - _फैल्स (_fails)
 - _ बॉयलॉस (_bylos)
 - _फॅजलोवी (_fajlovi)
 - फिक्सोटिंगियैक (_fitxategiak)

इसके अतिरिक्त फाईल के नाम की लंबाई रिक्त स्थानों (Spaces) सिंत 30
 अक्षरों से लंबी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक रिक्त स्थान (Space) को एक
 अक्षर (Character) के रूप में गिना जाना चाहिए।

8. न्याय शुल्क का संदाय :

न्याय शुल्क का संदाय ग.प्र. कोषालय को ऑनलाइन अथवा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किसी अधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जा सकता है। संदाय कूट (Payment Code) चाहे म.प्र. कोषालय को ऑनलाइन न्याय शुल्क के संदाय द्वारा ख्यमेव उत्पादित हो या मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किसी अधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से उत्पादित हो, को ई—फाईलिंग के समय उपयुक्त स्थान (बॉक्स) में इंद्राज करना होगा।

9. मूल दस्तावेजों का प्रतिधारण :

ऐसे दस्तावेओं की प्रतियाँ, जो कि ई—फाईलिंग के समय स्वयं उपस्थित पक्षकार या अधिवक्ता द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित तथा स्कैन किए गए है, को न्यायालय द्वारा किसी भी समय निर्देशित किए जाने पर प्रस्तुत करने हेतु परिरक्षित किया जाएगा। प्रत्येक स्थिति में, हस्ताक्षरित वकालतनागा, हस्ताक्षरित एवं नोटशिकृत/अनुप्रमाणित शपथपत्र की मूल प्रति रिजस्ट्री में प्रस्तुत (फाईल) की जाएगी। कोई भी अन्य दस्तावेज, जिसकी प्रमाणिकता प्रश्नगत होने की संभावना है, को अपील सहित, यदि कोई हो, प्रकरण के अंतिम निस्तारण के बाद कम से कम दो वर्ष की अविध तक परिरक्षित किया जाना चाहिए तथा निग्नलिखित दस्तावेजों को स्थाई रूप से परिरक्षित किया जाएगा :--

- (1) मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 (1882 का 7) की धारा 1A में यथा परिभाषित कोई मुख्तारनामा।
- (2) गाध्यरथम् अधिनियम 1996 के अंतर्गत कोई माध्यरथम् करार।
- (3) चुनाव याचिका में निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत मूल प्रमाणपत्र।

टिप्पणीः गूल प्रतियों को प्रस्तुत करने तथा उसकी सत्यता प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व उस पक्षकार का होगा जिसने उसकी स्कैन की हुई प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल की है।

10. फाईल करने का प्रमाण :

ई-फाईलिंग का प्रमाण ई-फाईलर के खाते (Account) में उपलब्ध होगा और ई-फाईलर के पंजीकृत ई-मेल पते एवं मोबाइल क्रमांक पर ई-फाईलिंग के समय ई-मेल तथा एस.एम.एस. के माध्यम से भेजा जाएगा।

11. प्रकरण की प्रविष्टियाँ :

इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग प्राप्त करने हेतु नागित कर्मचारी प्रत्येक मुख्य प्रकरण, अंतर्वर्ती आवेदन या ई—फाईलिंग के गाध्यम से मुख्य प्रकरण में प्रस्तुत किसी अन्य दस्तावेज का सत्यापन करेगा। वह उनकी संवीक्षा करेगा तथा ई—फाईलर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेखित किए जाने हेतु उपलब्ध कराई गई सूचना का उपयोग करते हुए प्रकरण में प्रविष्टि करेगा। यदि कर्मचारी द्वारा फाईलिंग या प्रकरण की प्रविष्टि में कोई त्रुटियाँ पाई जाती है, तो वह ई—फाईलिंग की दिनाँक से दो कार्यदिवसों के अंदर ई—मेल या

एस.एम.एस. के माध्यम से ई-फाईलर को सूचित करेगा तथा ई-फाईलर को उस श्रुटि को ठीक करने हेतु आवश्यक अन्य कार्यवाही, यदि कोई हो, के बारे में परामर्श देगा। न्यायालयीन अधिसूचना के माध्यम से श्रुटि के बारे में सूचित किया गया ई-फाईलर, कर्मचारियों से ऐसी न्यायालयीन अधिसूचना प्राप्ति से तीन कार्यदिवसों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग की सूचना पर अंकित मूल समय सीमा को बचाने हेतु, श्रुटि सुधार करेगा। श्रुटि सुधार में चूक का परिणाम न्यायालय द्वारा किसी फाईलिंग का निरस्तीकरण होगा और यदि प्रयोज्य हो तो, समयसीमा में अनुपालन करने की असफलता में परिणामित हो सकता है।

प्रयोक्ता (यूजर) द्वारा किंगियाँ दूर किए जाने की दशा में, नामित कर्मवारी यथास्थिति प्रकरण, आवेदन या दस्तावेज आदि का पुनर्शत्यापन करेगा तथा यदि किंमियों का निवारण हो गया हो तो कर्मचारी अनुपालन के अनुमोदन की कार्यवाही करेगा और ऐसे प्रकरण को विनिर्दिष्ट श्रेणी में पंजीबद्ध किये जाने की प्रक्रिया करेगा।

प्रकरण के पंजीकरण के पश्चात्, संबंधित अनुभाग/न्यायालय को ऑनलाइन सूचना/अंतरण किया जाएगा।

12. इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल किए गए दस्तावेजों एवं अभिवचनों की हार्ड कापियाँ :

अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण इलेक्ट्रॉनिक गाध्यम से प्रस्तुत समस्त दस्तानेजों अथवा अभिवचनों की हार्ड कापियाँ न्यायालय अथवा अन्यत्र अपने उपयोग के लिए मुदित कर सकते हैं। दस्तावेज अथवा याचिका की ई—फाईलिंग करने वाला पक्षकार अथवा अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय की रिजस्ट्री के फाईलिंग काऊंटर पर हार्ड कॉपी भी, उसके आरंभ में इस टिप्पणी के साथ, प्रस्तुत करेगा कि "हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी एक समान है एवं हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी में भिन्नता होने पर हार्ड कॉपी को वरीयता दी जाएगी।"

13. <u>इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल किए गए दस्तावेजों एवं अभिवचनों का संग्रहण एवं</u> पुनःप्राप्ति :

इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल किए गए दस्तावेजों एवं अभिवचनों को इस प्रयोजनार्थ संघारित एक अनन्य सर्वर में संग्रहित किया जाएगा। प्रत्येक प्रकरण को, आसानी से पहवानने एवं उसकी पुनः प्राप्ति के लिए पृथक रूप से लेबल व एन्क्रिप्ट किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों एवं अभिवचनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी एवं पूर्व में इंगित एवं समय—समय पर अधिसूचित विधि से उन तक पहुँचना प्रतिबंधित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल किए गए दस्तावेजों एवं अभिवचनों की बेक अप प्रतियों को न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से प्रशासनिक रतर पर संरक्षित किया जाएगा।

14. इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों तक पहुँच :

किसी प्रकरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिवचनों तक पहुँच केवल पक्षकारों के अधिवक्ता अथवा स्वयं संबंधित पक्षकारों को प्रदान की जाएगी। अधिवक्ता(गण) अथवा पक्षकार अपने खाते में संबंधित प्रविष्टियों से दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।

15. इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग से छूट :

निम्नलिखित परिस्थितियों में, इस हेतु प्रस्तुत आवेदन पर न्यायालय संपूर्ण अभिवचनों एवं/अथवा दस्तावेजों अथवा उसके भाग की ई—फाईलिंग से छूट की अनुमित दे

(1) आवेदन में स्पष्ट किए गए कारणों से ई--फाईलिंग संभव नहीं है.

अथवा

(2) गोपनीयता एवं निजता की सुरक्षा के संबंध में चिंता,

अथवा

(3) दस्तावेज को उसके आकार, आकृति एवं स्थिति के कारण स्कैन अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल नहीं किया जा सकता,

अथवा

(4) ई-फाईलिंग प्रणाली या तो अगग्य है अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं है,

अथवा

(5) कोई अन्य पर्याप्त कारण।

16. समय की संगणनाः

- (1) फाईलिंग दिनांक को ई-फाईलिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग इस नियम के उपनियम 4 के अनुसार अनुझेय होगी। परिसीमा की संगणना के प्रयोजन के लिए अवकाश आदि के संबंध में इन नियमों में विनिर्दिष्ट अन्य नियम ऑन-लाइन फाईलिंग में भी लागू होंगे। वह अवधि, जिसके दौरान ई फाईलिंग सिस्टम किन्हीं कारणों से निष्क्रिय हो जाता है, ऐसे समय की संगणना से अपवर्जित की जाएगी। हाँलांकि, यह ऐसी फाईलिंग की परिसीमा को नहीं बढ़ाएगा जहाँ परिसीगा अधिनियम 1963 की धारा 5 अथवा कोई अन्य परिसीगा अवधि का वैधानिक विस्तार उपलब्ध नहीं है।
- (2) पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग दिन अथवा रात के चौबीस घंटे, सप्ताह के सातों दिन किसी भी समय प्रस्तुत की जा सकती है। हॉलािक, कोई फाईलिंग तब तक अभिलेख की कार्यालयीन सूचना नहीं होगी जब तक कि यह न्यायालय के प्रकरण प्रबंधन सूचना प्रणाली (CMIS) में संग्रहित नहीं कर ली जाती।
- (3) सभी लागू शुल्क भुगतान के अधीन रहते हुए, किसी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग की सूचना में दिखाई गई दिनाँक व समय पर न्यायालय में ई--फाईल किया माना जावेगा, भले ही ई--फाईलर ने वास्तविक रूप से दस्तावेज कभी भी न्यायालय में प्रेषित कर दिया हो।
- (4) किसी दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल किया जाना, उस दस्तावेज के प्रस्तुत करने की समय-सीमा में परिवर्तन नहीं करता। किसी दस्तावेज को समय पर फाईल किए जाने के लिए, फाईलिंग को, भारतीय मानक समय के अनुसार मध्य रात्रि के पूर्व, पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। हाँलािक यदि दिन का कोई समय मूलतत्व है तो पीठासीन न्यायाधीश किसी दस्तावेज को किसी निश्चित समय तक दाखिल किए जाने हेतु आदेश कर सकता है।

- (5) किसी दस्तावेज को न्यायालय अथवा पीठासीन न्यायाधीश की ओर ई—मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाना, दस्तावेज की ई—फाईलिंग गठित नहीं करेगा एवं ऐसे ई—मेल ई—फाईलर को कोई सूचना दिए बिना ही नस्तीबद्ध कर दिए जाएंगे। कोई दस्तावेज तब तक प्रस्तुत किया जाना नहीं समझा जाएगा जब तक कि ई—फाईलिंग प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग की सूचना उत्पन्न नहीं करती।
- (6) (भले ही) ई-फाईलिंग प्रणाली को दिन के 24 घंटे स्वीकार करने हेतु तैयार किया गया है. निर्घारित रखरखाव के कारण अथवा ई-फाईलर अथवा प्रणाली द्वारा अनुभूत तकनीकि कठिनाइयों के कारण यह हमेशा उपलब्ध नहीं रह सकता। ई-फाईलर को फाईलिंग की स्मयसीमा के पूर्व न्यायालय के सामान्य कार्य समय के दौरान दस्तावेजों को फाईल करना चाहिए।

17. (1) ई-फाईलिंग में असमर्थता :

- (क) ई.एफ.एस. के विफल होने पर पक्षकारों के हित प्रमावित नहीं होंगे।
- (ख) जब ई-फाईलिंग, ई.एफ.एस. की विफलता से रूक जाती है तब ई-फाईलर परंपरागत फाईलिंग में लौट सकता है।
- (ग) ई--फाईलिंग प्रणाली की खराबी सिंहत कोई तकनीकि खराबी, पिरसीमा अविध को नहीं बढ़ाएगी। किसी दस्तावेज को समयसीमा के पालन में समय पर फाईल किया जाना ई--फाईलर को सुनिश्चित करना चाहिए, जहाँ आवश्यक हो, पिरसीमा को पूरा करने के लिए ई फाईलर को परंपरागत रूप से दस्तावेजों को प्रस्तुत करना चाहिए।

(2) तकनीकि खराबी :

- (क) इसमें परिभाषित तकनीिक खराबी का सामना करने पर ई फाईलर परंपरागत रूप से दस्तावेज फाईल कर सकता है। परंपरागत रूप से दस्तावेजों को स्वीकार करने वाला कर्मचारी, दस्तावेजों के साथ ऐसे यू. एस.बी. ड्राइव, सी.डी. रोम, मेमोरी कार्ड अथवा किसी अन्य संग्रहण माध्यम की अपेक्षा कर सकता है जिसमें ऐसा दस्तावेज पी.डी.एफ. अथवा पी.डी.एफ. ∕ ए. प्रारूप में हो।
- (ख) जो ई-फाईलर इसमें परिभाषित तकनीकि खराबी से हुई हानि से पीड़ित हों अथवा एक ई-फाईलर जो परिसीमा की समयसीमा के अधीन प्रस्तुत दस्तावेज के अलावा अन्य समय संवेदी दस्तावेज अदृश्य तकनीकि कठिनाईयों के कारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकता, वह न्यायालय से अनुतोष माँग सकता है। पक्षकारगण भी परिसीमा काल के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत किया गया माने जाने के लिए समझौता भी कर सकते हैं।

(3) प्रत्याषित प्रणाली रखरखाव और डाऊनटाईम :

जब निर्धारित रखरखाव के कारण ई--फाईलिंग प्रणाली उपलब्ध नहीं होगी तब ई--फाईलर को प्रत्याशित अनुपलब्धता की अवधि, दिनांक व समय के बारे में न्यायालय के वेबसाईट पर प्रकाशित सूचना के माध्यम से, अधिसूचित किया जाएगा।

(4) अप्रत्याषित डाऊनटाईम:

जब ई—फाईलिंग प्रणाली लगातार अथवा रूक—रूक कर एक घंटे से अधिक के लिए फाईलिंग स्वीकार करने में अप्रत्याशित रूप से असमर्थ हो तब ई—फाईलर को न्यायालय की वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित करते हुए समस्या के बारे में अधिस्वित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण : इस नियम को अंग्रेजी संस्करण से हिंदी संस्करण में रूपांतरण किया गया है, यदि रूपांतरित नियम में कोई भिन्नता या विरोधाभास हो तो इस नियम का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

राजेन्द्र कुमार वाणी, राजिस्ट्रार जनरल.

THE ELECTRONIC FILING (E-FILING) IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH RULES, 2020

In exercise of the powers, conferred by Article 225 of the Constitution of India, section 54 of the States Reorganisation Act 1956, clauses 27 and 28 of the Letters Patent, section 3 of the Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khandpeeth ko Appeal) Adhiniyam, 2005, the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following Rules, regulating practice and procedure pertaining to use of e-filing for Courts of the High Court:

1. NOMENCLATURE:

These Rules shall be called The Electronic Filing (E-filing) in the High Court of Madhya Pradesh Rules, 2020.

2. APPLICABILITY AND ENFORCEMENT:

These Rules shall apply to Electronic Filing (e-filing) of the cases in the High Court of Madhya Pradesh and shall come into force from the dates and for the categories of cases as may be notified by the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh from time to time.

3. **DEFINITION:**

- (a) "Conventional Filing" is the physical non-electronic presentation of documents to the Court.
- (b) "Court" means High Court of Madhya Pradesh.

- (c) "Documents" mean pleadings, petitions, applications/interim applications, annexures, exhibits, affidavits, memoranda, papers, orders, notices and any other filing including filing of reply to the court.
- (d) "Electronic court records" are electronic records created, generated, sent, communicated, received, or stored by electronic means which are capable of being printed on paper, or transferred to archival media, without loss of content or material alteration of appearance. Court records may be created or converted to electronic formats by court to searchable electronic records using scanning technology. Electronic court records shall constitute the official record and will be equivalent to court records filed in paper.
- (c) "eFiler" means an individual filing the documents electronically through the electronic filing system and who has a user ID, password, and limited authority to file documents electronically.
- (f) "Electronic filing (eFiling)" means the electronic transmission of a document to the court using the court's electronic filing system, together with the transmission from the court of a notice of electronic filing. Sending a document to the court via email or facsimile or any messenger app does not constitute "electronic filing."
- (g) "E-Filing System (EFS)" is the system of networked hardware, software, and service providers approved by the High Court of Madhya Pradesh for the filing of documents via the Internet for use by the Courts in Madhya Pradesh.
- (h) "Electronic identity" means the combination of the eFiler's login ID/username, password, and profile.
- (i) "High Court Case Management Information System (IICCMIS)" is the system of networked software and hardware used by High Court in Madhya Pradesh that may receive, organize, store, retrieve and transmit data of cases.
- (j) "Hard Copy" means a printed version of the documents or/and pictures on paper, whichever is filed through eFiling.

- (k) "Notice of Electronic Filing (NEF)" means a notice sent by email or SMS containing the details automatically generated by the electronic filing system at the time of filing the document with the system, in Indian Standard Time (IST). A Notice of Electronic Filing will be sent to the registered email and mobile phone number given at the time of elfiling by eFiler immediately after the eFiling.
- (l) "PDF" means an electronic document filed in a portable document format, which is readable by the free Adobe® Acrobat® Reader.
- (m) "PDF/A" means an ISO-standardized version of the Portable Document Format (PDF) specialized for the digital preservation of electronic documents.
- (n) "Public Access Terminal" is a publicly accessible computer provided by a court that allows a member of the public to access the EFS and public court records.
- (o) "Scanned document" means an electronic image created by scanning a paper document.
- (p) "Technical failure" means failure of the court's hardware, software, and/or telecommunications facility which results in the impossibility for an eFiler to submit a filing electronically. Technical failure does not include malfunctioning of an eFiler's equipment.
- (q) "User Agreement" is an agreement in a form approved by the High Court of Madhya Pradesh that establishes obligations and responsibilities of the eFiler within the EFS.
- (r) "Website Administrator" is an Officer/Official nominated by the Chief Justice.
- (2) Words and expressions used and not defined in these Rules shall have the same meaning as assigned to them in the High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008, Code of Civil Procedure, 1908, Indian Evidence Act, 1872, Information Technology Act, 2000 and the General Clauses Act, 1897.

4. PETITIONS TO BE FILED ELECTRONICALLY:

Except as provided elsewhere in these rules, all petitions, applications/interim applications, appeals and other pleadings including reply/documents in fresh, pending or disposed of cases, may be filed electronically in the manner hereinafter provided. A document that an advocate or party files electronically under these Rules has the same legal effect as a document in paper form.

Provided that the parties and advocates shall continue to file the hard copy within 3 working days of eFiling in urgent cases and 7 working days in ordinary cases. The date of filing of hard copy shall be taken to be the date of filing and date of cFiling shall be taken to be the date of filing for computing the period of limitation.

5. REGISTRATION AND RESPONSIBILITIES OF EFILERS:

(1) Registration in EFS would be limited to:

- (a) Advocates practising in the High Court in Madhya Pradesh registered with HCCMIS; and
- (b) Self-represented parties.

(2) Registration:

- (a) The eFiler's login ID/username, password, and profile will constitute the eFiler's electronic identity and user account for the purposes of these Rules. eFilers must register online through the website of High Court of Madhya Pradesh.
- (b) If the User is an Advocate, he will be required to provide Bar Council Registration Number, Mobile Number and Email address for creating login ID on CMIS Software.
- (c) If the User is any Institution, Authority, College, School, University, Company, Corporation, Bank, Cooperative society, Society registered under the Society Registration Act, Non Governmental Organization etc it will be required to provide its address, details of authorized person(s), name email and mobile number for creating a login ID on CMIS Software.
- (d) If the User is any individual, he will be required to provide his PAN number/Aadhaar Number/Voter ID number (any one) and Mobile Number and Email ID for creating login ID on CMIS Software.
- (e) The eFiler will be subject to the terms of the eFiling system user agreement.

(3) Responsibilities of eFilers.

- (a) It will be the responsibility of the eFiler to have a valid and working email address that has not exceeded its size limitation in order to receive notification from EFS electronically. It will not be the responsibility of the court to ascertain whether an eFiler is receiving notifications from the eFiling system via email or not.
- (b) If an eFiler's email address, phone number, or other information provided in the eFiler's profile has changed, the eFiler must promptly make the necessary changes to his or her profile.

(c) An eFiler shall be liable for:

- (i) Any conduct undertaken using his user ID; and
- (ii) The conduct of any person to whom access is provided by him by sharing his user ID and password.

Any inappropriate conduct may result in suspension of the account or other proceedings as may be permissible under the law for the time being for contempt of court, or commission of an offence under relevant laws in force at the time of the inappropriate conduct. It shall be presumed that the document(s) has(ve) been filed by the person using the user ID and it shall be the responsibility of the user to maintain the secrecy of his ID and password. If an elfiler believes that the security of his or her electronic identity has been compromised or that a threat to the system exists, the elfiler must notify the elfiling website administrator.

(d) An el'iler shall take all reasonable steps to ensure that the filing does not contain computer code, including viruses, that might be harmful to the court's electronic filing system and to other users of that system;

6. PROCEDURE FOR E-FILING:

(1) Whenever a party intends to file a petition, application or document etc. it shall prepare the original text material, documents, notice of motion,

memorandum of parties, reply main petition or appeal, interlocutory applications etc. electronically using any word processing software in a format that can be rendered with high fidelity to originals, is searchable while maintaining original document formatting and capable of being tagged, the formatting style of the text will be as under:

- (a) Page Size: The documents shall be prepared on the A4 page size.Conventionally filed documents shall conform to the existing Rules regarding the page size and nature of the page.
- (b) Print Size: The font shall be Times New Roman and the typeface shall be 14-point in body text and footnotes 12 points.
- (c) Spacing: All text shall be one and half line spaced, except that footnotes, tables, charts, or similar material and text that is blocked and indented shall be I line-spaced.
- (d) **Numbering:** The pages shall be numbered at the bottom of all pages including the front page. Index and the chronological list of events shall be consecutively numbered at the bottom beginning with numeral one (1) with central alignment.
- (e) Margins: All the documents shall have minimum top and bottom margins of 2 cm from the end of the documents while the left and right margins shall be 4 cm from the end of the document.
- (f) Alignment: All the documents shall be aligned with justified alignment.
- (g) Cover/Page Headers: Each page, except for the front page, of the document shall contain a header that lists the name of the party(ies) filing the document and the document name (e.g., "Writ petition filed on behalf of AB" or "Reply filed on behalf of XY").
- (2) Documents must be converted to PDF/A or PDF format before they are filed in the cFiling system by using any PDF converter or in-built PDF conversion plug-in provided in the software. PDF/A is the preferred format for EFS.
- (3) Where the document is not a text document and has to be enclosed with the petition, appeal or application or other pleadings, as the case may be, the document shall be scanned using an image resolution of 300 dpi (dot per inch) and saved as a PDF or PDF/A document in A4 size. The eFiler must ensure that the filing is an accurate representation of the document and is complete and readable. Where the original is not clearly legible, a typed copy of the same shall be filed at the same time duly certified by

the advocate filing the same to be a true typed copy of the document. It shall also be scanned and uploaded along with the original. The documents shall be printed on one side of the paper and when the original is printed on both sides, its typed copy will be typed on one or both sides.

- (4) The maximum permissible size of the file that can be uploaded at the time of e-filing is 20 MB. However, if the file is large, it can be split and uploaded separately.
- (5) Documents filed in other formats or exceeding the prescribed size limits will not be accepted for filing, save that the same can be filed using a conventional filing.
- (6) If the filing of an electronically submitted document requires leave of court, the eFiler should attach the proposed document as an attachment to the application requesting leave to file. If the court grants the leave and allows the proposed document, the eFiler must re-file the proposed document to make it part of the record.

(7) Signatures:

A document electronically filed using the eFiling system must bear the digital signature of the filing party's advocate, or party where it is not represented by an advocate as more fully described in paragraphs (a) and (b) below. The digital signature of the filing party's advocate will be treated as a personal signature and will serve as a signature for purposes of Code of Civil Procedure, 1908, Criminal Procedure Code, 1973 or any other Rules of Procedure and Practice, applicable statutes, the Local Rules and any other purpose for which a signature is required in connection with proceedings before the court.

- (a) An electronically filed document must include a signature block setting forth the name, mailing address, phone number, fax number (if any), and email address of the filing party's advocate or party where it is not represented by an advocate.
- (b) In addition, the name of the filing party's advocate must be preceded by a "/sd/" and typed in the space where the signature would otherwise appear. A handwritten signature will be required for any conventionally filed document.
- (c) Affidavits and exhibits to pleadings with original handwritten signatures must be scanned and filed in PDF or PDF/A format.
- (d) (i) Where the party or the advocate does not possess the digital signatures issued by the competent authority, such an

advocate or the party may authenticate efiled documents by using the adhaar number belonging to the advocate or party and the OTP sent to the registered mobile number of the advocate or party with UIDAI (Unique Identification Authority of India). Such authentication shall be considered valid for all intents and purposes and it shall be the responsibility of the party or the advocate to maintain the security of his Aadhaar number and the mobile phone registered with the UIDAI.

(ii) Where a document requires signatures of more than one party it may be filed either by:

- (A) representing the consent of the other parties on the document by inserting in the location where each handwritten signature would otherwise appear the typed signature of each person, other than the filing party, preceded by a "/sd/" and followed by the words "by permission" (e.g., "/sd/ AB by permission"); or by
- (B) electronically filing a scanned document containing all necessary signatures.
- (8) The signature on any document required to be notarized, acknowledged, verified, or made under oath must be handwritten and scanned into the cFiling system. The court will maintain the scanned document as the official court record, and the filing party must file the original documents with the pleadings by conventional filing.
- (9) The applicable instructions for eFiling will be made available on the website of High Court of Madhya Pradesh (https://mphc.gov.in/) and every eFiler will have to abide by the same.

7. DOCUMENT BINARY FILE NAME STANDARDS:

- (1) The following special characters are not allowed in a file name:
 - ❖ A quotation mark (")
 - ❖ A number sign/Pound (#)
 - ❖ Per cent (%)
 - ❖ Ampersand (&)
 - Asterisk (*)
 - ❖ Colon (:)
 - Angle brackets (less than, greater than) (<>)
 - ❖ A question mark (?)

- ❖ Backslash (\)
- Forward slash (/)
- Braces (left and right) ({ })
- ❖ Pipe (|)
- ❖ A tilde (~)
- The period (.) character used consecutively in the middle of the file name or at the beginning or end of the file name.

(2) File names will not end with any of the following strings:

- .files
- files
- . Dateien
- fichiers
- bestanden
- file
- archivos
- -filer
- tiedostot
- pliki
- soubory
- delemei .
- ficheiros
- _arquivos
- _dosyalar
- datoteke
- fitxers
- ∳ _failid
- _fails
- bylos
- ❖ _fajlovi
- fitxategiak
- ❖ In addition, file names should not exceed 30 characters in length, including spaces. Single space must be counted as one character each.

8. PAYMENT OF COURT FEE:-

Court fee can be paid by online payment to the M. P. Treasury or through any authorized service provider approved by High Court of Madhya Pradesh. The payment code whether automatically generated on payment of court fee

online through the M. P. Treasury or through any authorized service provider approved by High Court of Madhya Pradesh has to be filed in the appropriate box at the time of e-filing.

9. RETENTION OF ORIGINALS:-

The originals of the documents that are scanned and digitally signed either by counsel or parties in person at the time of e-filing shall be preserved for production upon being directed by the court at any time. In any event, signed Vakalatnama, signed and notarized/attested affidavit shall be filed in original in the Registry. Any other document whose authenticity is likely to be questioned should be preserved at least for a period of two years after the final disposal of the case including appeals if any and the following documents shall be preserved permanently:-

- (1) A power-of-attorney as defined in section 1A of the Power-of-Attorney Act, 1882 (7 of 1882).
- (2) The Arbitration Agreement under Arbitration Act 1996.
- (3) Original certificate issued by election officer in election petition.

Note:- The responsibility for producing the originals and proving their genuineness shall be of the party that has electronically filed the scanned copies thereof.

10. PROOF OF FILING

The proof of eFiling will be available in the account of the eFiler and shall be sent by way of email and SMS at the time of eFiling on the registered email address and mobile number of the eFiler.

11. CASE ENTRIES.

The official nominated to receive an electronic filing shall verify every Main Case, Interlocutory Application or any other documents in the Main Case filed through e-filling. He shall scrutinize them and create a case entry using the information provided by the eFiler to record the document filed. If errors in the filing or case entry are discovered by the officials, the official shall through E-mail / SMS notify the eFiler of the error within 2 working days from the date of e-filing and advise the eFiler of what further action, if any, is required to address the error. eFilers notified of an error through a Notification of Court shall make corrections within three (3) working days of receiving the Notification of Court from the officials in order to preserve the original time stamp found on the Notice of Electronic Filing. Failure to make corrections will result in the rejection of a filing by the court and could result in a failure to comply with limitation, if so applicable.

In case of removal of defect by the user, the Official nominated shall re-verify the case, Application, Documents etc. as the case may be and if the defects have been removed, the Official shall proceed to approve the compliance and will proceed to register such case in a specified category.

After registration of the case, an online intimation/transfer shall be made to the concerning Section/Court.

12. HARD COPIES OF PLEADINGS AND DOCUMENTS FILED ELECTRONICALLY:-

Lawyers, as well as parties, can print hard copies of all pleadings and documents filed electronically for their use in the Court or elsewhere. Party or the Advocate eFiling a document or petition shall also file a hard copy at the filing counter of the Registry of High Court of Madhya Pradesh, along with a note mentioned in the beginning certifying that, "Hard copy and Soft copy are the same" and in case of any discrepancy between the hard copy and the Soft copy, the preference shall be given to the hard copy.

13. STORAGE AND RETRIEVAL OF ELECTRONICALLY FILED DOCUMENTS AND PLEADINGS:-

The pleadings and documents electronically filed shall be stored on an exclusive server maintained for this purpose. Each case shall be separately labelled and encrypted for this purpose to facilitate easy identification and retrieval. The security of such document and pleadings shall be ensured and access to them would be restricted in the manner indicated hereinbefore and as may be notified from time to time. Backup copies of all electronically filed pleadings and documents shall be preserved in the manner decided by the Court on its administrative side.

14. ACCESS TO ELECTRONIC DOCUMENTS:-

Access to documents and pleadings filed electronically in a case will be provided only to Advocates for the parties or the concerned parties themselves. The Advocate(s) or the party may obtain documents from the relevant entries in his account.

15. EXEMPTION FROM ELECTRONIC FILING:-

Exemption from e-filling of the whole or part of the pleadings and/or documents may be permitted by the Court upon an application for that purpose being made to the Court in the following circumstances:

- (1) e-filing is, for the reasons to be explained in the application, not feasible;
- (2) there are concerns about confidentiality and protection of privacy; or

- (3) the document cannot be scanned or filed electronically because of its size, shape or condition; or
- (4) the e-filing system is either inaccessible or not available for some reason; or
- (5) any other sufficient cause.

16. COMPUTATION OF TIME:-

- (1) Electronic filing through the e-filing system will be permissible as per sub-rule (4) of this rule on the date of filing. All other rules relating to holidays etc. for the purpose of computation of limitation, as specified in these Rules will apply to online electronic filing as well. The period during which e-filing system is inoperative for any reason will be excluded from the computation of such time. This, however, will not extend limitation for such filing where Section 5 of the Limitation Act, 1963 or any other statutory extension of the period of limitation is not available.
- (2) An electronic filing may be submitted to the portal at any time of the day or night, twenty-four (24) hours a day seven days a week. However, the filing will not be official information of record until it has been stored on the court's case management information system
- (3) A document will be deemed E-Filed with the court, subject to payment of all applicable fees, on the date and time reflected in the Notice of Electronic Filing regardless of when the eFiler actually transmitted the document to the court.
- (4) Filing a document electronically does not alter the filing deadline for that document. The filing must be completed BEFORE MIDNIGHT, Indian Standard Time, in order to be timely filed. However, if the time of day is of the essence, the presiding judge may order a document be filed by a certain time.
- (5) Emailing a document to the court or to the presiding judge does not constitute filing the document and such emails will be filed without any intimation to the eFiler. A document will not be considered filed until the eFiling system generates a Notice of Electronic Filing.
- (6) While the eFiling system is designed to accept filings 24 hours a day, it may not always be available due to scheduled maintenance or technical difficulties experienced by the eFiler or system. eFilers should file documents in advance of filing deadlines and during normal court hours.

17. (1) INABILITY TO E-FILE:

- (a) The rights of the parties shall not be affected by an EFS failure.
- (b) When E-Filing is prevented by an EFS failure, an eFiler or party may revert to conventional filing.
- (c) A technical failure, including a failure of the eFiling system, will not extend the period of limitation. The eFiler must ensure that a document is filed limitation and, wherever necessary, the eFiler must file the document conventionally to meet the limitation.

(2) Technical failures.

- (a) If an eFiler experiences a technical failure as defined herein, the eFiler may file the document conventionally. The official receiving documents conventionally may require the document to be accompanied by a USB drive, CD-ROM, memory card or any other storage media containing the document in PDF or PDF/A format.
- (b) An eFiler who suffers prejudice as a result of a technical failure as defined herein or an eFiler who cannot file a time-sensitive document electronically due to unforeseen technical difficulties, other than a document filed under a limitation deadline, may seek relief from the Court. Parties may also enter into an agreement deeming a document, other than one filed under a limitation deadline, timely filed.

(3) Anticipated system maintenance and downtime.

When the eFiling system will not be available due to scheduled maintenance, eFilers will be notified by means of a notice posted on the court's website of the date, time, and anticipated length of the unavailability.

(4) Unanticipated downtime.

When the eFiling system is unexpectedly unable to accept filings continuously or intermittently for more than one hour, eFilers will be notified of the problem by the posting of a notice of the problem on the court's website.